

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

भोलाराम उर्फ देवीसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान

एकलपीठ दांडिक निगरानी याचिका संख्या 679/1999 अन्तर्गत धारा 397 सपठित धारा 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरुद्ध निर्णय दिनांक 9.9.1999, जो कि विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे/मानसिंह हत्याकांड), जयपुर द्वारा फौजदारी अपील संख्या 22/99 में पारित किया गया एवं जिसके द्वारा प्रार्थी की अपील को धारा 148, 323/149 व 326 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में खारिज करते हुए इनके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 19.12.97 की पुष्टि की गयी। किन्तु विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में अपास्त किया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी को धारा 147, 148, 323/149, 326 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों का दोषी घोषित करते हुए उसे धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 3 माह के साधारण कारावास, धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 4 माह के साधारण कारावास, धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 5 माह के साधारण कारावास, धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500/-रुपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड 1 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया।

आदेश दिनांक

मार्च 31, 2009

उपस्थित:
माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री रजनीश गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री पीयूष कुमार, लोक अभियोजक।

न्यायालय द्वारा:

प्रार्थी की ओर से यह दांडिक निगरानी याचिका विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे/मानसिंह हत्याकांड), जयपुर द्वारा फौजदारी अपील संख्या 22/99 में पारित निर्णय दिनांक 9.9.99 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा

प्रार्थी की अपील को धारा 148, 323/149 व 326 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में खारिज करते हुए इनके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-1, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 19.12.97 की पुष्टि की गयी। किन्तु विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में अपास्त किया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी को धारा 147, 148, 323/149, 326 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों का दोषी घोषित करते हुए उसे धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 3 माह के साधारण कारावास, धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 4 माह के साधारण कारावास, धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 5 माह के साधारण कारावास, धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिये 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500/-रुपये अर्थदण्ड एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड 1 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया गया।

प्रकरण के तथ्यों में जाने से पूर्व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि वे प्रार्थी की दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती नहीं देते हैं किन्तु चूंकि प्रार्थी पूर्व में 28 दिन अभिरक्षा में रह चुका है, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष से अधिक की हो चुकी है, उसके विवाह योग्य पुत्र एवं पुत्रियां हैं और उसके खिलाफ मामला लगभग 22 वर्ष से लंबित है जिससे वह इतनी लम्बी अवधि से इस मामले की पीड़ा को भुगत रहा है, जिससे उसे धारा 360 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जावे। उनकी यह भी प्रार्थना है कि यदि यह न्यायालय प्रार्थी को इन दोनों ही लाभों में से किसी लाभ से लाभान्वित करना उपयुक्त नहीं समझती है तो उसे इस मामले में भुगती हुई सजा पर छोड़ा जावे। उन्होंने अपने कथन में समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 1986 क्रिमिनल ला जर्नल 2061 नायबसिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब के निम्न पैरा की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया:-

“Accordingly, the appeal fails and is dismissed. The judgment of the High Court after convicting the appellant under Section 326 of the Indian Penal code is upheld. As to the sentence, we are inclined to take a lenient view. We are

informed that the appellant is a Teacher in a Government School. The circumstances brought out by the prosecution evidence show that he acted in the heat of the moment. Looking to the fact that the incident occurred on April 22, 1973, some 13 years back, we do not think it desirable to send the appellant back to jail. We accordingly reduce the sentence of rigorous imprisonment for one year awarded by the High Court to imprisonment till the rising of the Court and pay a fine of Rs.5,000/- or in default, to undergo rigorous imprisonment for a period of six months. The amount of fine shall be deposited in the Court of the Judicial Magistrate, First Class, Muktsar within a period of one month from today. The amount, if recovered, shall be paid to the complainant Darshan Singh by way of compensation. Appeal dismissed.”

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रार्थना का घोर विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने एवं इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखने के उपरान्त मैं प्रार्थी को भुगती हुई सजा पर छोड़ना उपयुक्त समझता हूँ।

अतः अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत प्रार्थी की दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए उसे दी गयी कारावास की सजा के स्थान पर उसके द्वारा भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दांडिक निगरानी याचिका इसी प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सुरेश

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति